तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 32/2019 मन्दर सिंह आदि बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(2) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
31.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 मन्दरसिंह की चक 10 एन पी के मु.न 15 में स्थित भूमि के किला ने. 15 में कृषि सिचिंत हेतु टयूववेल लगा हुआ हैं, उक्त टयूववेल की पाईप को प्रार्थी सं. 2 गुरप्रीतसिंह के मु.नं. 36 में ले जाना चाहते हैं उक्त दोनों मु.नं. 15 वा 36 के मध्य सडत्रक रास्ता आम है जिसके नीचे से प्रार्थीगण पाईपलाईन डालकर अपने खर्चा पर मु.नं. 36 में ले जाना चाहते हैं। अतः मु.नं. 15 चक 10 एन पी के कि.नं. 15 में लगे टयूववेल की पाईप को मु.नं. 36 में ले जाने के लिए मध्य में स्थित आम रास्ता के नीचे से ले जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भू. अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। भू. अभिलेख निरीक्षक ठण्डी की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 3 के अनुसार चक 11 एन पी के मु.नं. 36 में पानी लाने हेतु यह पाईपलाईन नहर की पटटरी में भूमिगत तथा नहर के उपर पाइपलाइन डाला जाना शेष हैं। अतः इस हेतु सिंचाई विभाग की स्वीकृति ली जानी उचित होगी। इस पाइपलाइन का पानी प्रार्थी चक 11 एन पी के मोघे मे अपनी बारी में डालेगा। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने सिंचाई सुविधा हेतु पाइपलाइन डाले जानी की स्वीकृति देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.नि. ठण्डी पाइपलाइन नहर के उपर से डाला जाना है, जिसके लिए सिंचाई विभाग की अनुमति आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना पाइपलाईन डालने की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पक्षकारो के कुसंयोजन के कारण खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner